

: 00000000 000 000000000 00 000000-0000000 00 00000000, 000000 00 0000 0000
0000 000000 0000000000 : 0000 00000000 0000000 00 000000 0000000000 00
00000000 000000 000000 : 000000 0000 00 00000 00000 0000000000 00 0000000000 0000
000000 00000000 0000 00000000 00000 00000 :



0000000000 00000000

00000000 : कतरफसरकार लाखों रूपया खर्च करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चला रही है, और दूसरी तरफ सफेदपोश नेताओं और
वभागीय अधिकारियों की मलीभगत से भ्रूण हत्या का अस्पताल चलाया जा रहा है। आखिर सरकार का यह कैसा कार्यक्रम है? क्या ऐसे बेटियाँ बचेंगी?
कतरफमुखालफित्त हो और दूसरी तरफयह अवैध करोबार चले।

जी हाँ सोनभद्र जनपद में ऐसे दुकनों की भरमार है। झोलाछाप डाक्टर व अवैध अस्पताल जोरों से संचालित हो रहे हैं। लोगों की मजबूरी है कि इन्हीं
झोलाछाप डाक्टर और बनि लाइसेंस अस्पताल में अपना ईलाज कराना पता है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ताजजुब तो हमारे होनहार
वभागीय अधिकारियों पर होता है जो इस तरह के गैर लाइसेंस डाक्टरों और अस्पतालों को चलने देते हैं। नेता तो बनि पेंदी के लोटा होते हैं लेकिन अधिकारी
तो शक्ति होते हैं। खैर जो भी हो सरकार भी ऐसे गैर लाइसेंस डाक्टरों और अस्पतालों पर अंकुश लगाने में नाकाम हो गयी है और अगर कोई इसके लिये
आवाज उठाता भी है तो उसे पूरी ताकत के साथ दबाने की कोशिश की जाती है और कानून भी इसमें पूरा सहयोग करता है।

ताजा घटना सोनभद्र की भी है, जहाँ तहसील के बगल में अवैध अस्पताल चल रहा था और उसमें भ्रूण हत्या का भी करोबार हो रहा था। मगर किसी की
हमिमत नहीं हुई थी कि उस अस्पताल और उसके संचालक के खिलाफ आवाज उठा सके। बनी हमिमत जुटाते हुए ग्रामीण महिला ने इसके खिलाफ आवाज
उठाया। कई शक्तियों के बाद छापेमारी हुई, कई आपत्तजनक बनि लाइसेंस की मशीने मर्लिन। लेकिन अस्पताल संचालक की हमिमत देखा। कि गलती
स्वीकारने के बजाए उस महिला को धमकाने निकल पड़ी। इस बीच अस्पताल संचालक ने पुरानी रंजशि मे टीवी चैनल के पत्रकार को लपेटे में ले लिया और
उस पर ब्लैकमेलिंग और बलात्कार जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा ठोक दिया।

बताया जाता है कि पत्रकार और अस्पताल संचालक का पैसा का पुराना विवाद था और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था और इस बीच पत्रकार ने अस्पताल
से जुड़ी खबरों के चैनल में प्रकृति कथा और मौक देखकर अस्पताल पर हुई कर्यवाही को दबाने के लिये ये मुकदमा ठोक दिया। वह तो गनीमत है कि
हाईकोर्ट ने इस मामले में फंसाये गये पत्रकार वशिष्ठ गु गुप्ता के खिलाफ दर्ज करायी गयी रिपोर्ट को ही खारज कर उन्हें हेलिस चंगुल से बचा लिया,
वरना अब तक वह जेल में ही बंद होता।

Written by गजेन्द्र गुप्ता

Saturday, 09 September 2017 20:29

अब इस मुकद्दमे से पत्रकारों और समाजसेवीयों में भय व्याप्त है कि ऐसे किसी विवादित मामले में हाथ न डाला जा सके जिसमें महिला शामिल है न जाने कौन सी धाराओं में फंसा दे।

(गजेन्द्र गुप्ता त सोनभद्र से पत्रकार है। यह लेख इसी रिपोर्टर की ईमेल से आया है।)